भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1649

सोमवार, 10 मार्च, 2025/19 फाल्गुन, 1946 (शक)

गिग वर्कर्स के लिए आयुष्मान भारत योजना

1649. श्री राजा राम सिंहः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत गिग वर्कर्स को स्वास्थ्य परिचर्या की सुविधा किस तिथि तक आरंभ किए जाने का अनुमान है;

(ख) उक्त प्रस्ताव से कितने गिग वर्कर्स के लाभान्वित होने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार ने देश में गिग वर्कर्स की संख्या की गणना करने के लिए कोई गणना या सर्वेक्षण कराया है;

(घ) यदि हां, तो कार्यप्रणाली, नमूने का आकार और सर्वेक्षण वर्ष सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत गिग वर्कर्स के लिए सरकार द्वारा किए गए बजटीय आवंटन का ब्यौरा क्या है;

(च) यदि वास्तविक राशि विनिर्दिष्ट नहीं की गई है तो सरकार आयुष्मान भारत योजना के लिए समर्पित कुल निधि में से गिग वर्कर्स की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किस प्रकार निधि आवंटित करेगी;

(छ) क्या सरकार का गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के उपबंधों के अनुरूप दुर्घटना बीमा, पेंशन योजना अथवा मातृत्व लाभ जैसे अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने का विचार है; और

(ज) यदि हां, तो गिग वर्कर्स के लिए इन सामाजिक सुरक्षा लाभों को लागू किए जाने की समय-सीमा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ज): पहली बार, 'गिग कामगारों' और 'प्लेटफॉर्म कामगारों' की परिभाषा और इससे संबंधित उपबंध सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में दिए गए हैं जिसे संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है।

यह संहिता गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए जीवन और निःशक्तता कवरेज, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और प्रसूति प्रसुविधा, वृद्धावस्था संरक्षण आदि से संबंधित मामलों के लिए उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा उपाय करने का उपबंध करती है।

जारी..2/-

नीति आयोग द्वारा जून 2022 में प्रकाशित “भारत की तेजी से बढ़ती गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था” शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुमान के अनुसार, देश में गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों की संख्या 2020-21 में 7.7 मिलियन थी, जिसके वर्ष 2029-30 तक बढ़कर 23.5 मिलियन होने की संभावना है।

ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के गिग कामगारों के योगदान को मान्यता देते हुए, सरकार ने दिनांक 1.2.2025 को की गई अपनी बजट घोषणा में ई-श्रम पोर्टल पर उनके पंजीकरण और पहचान-पत्र की व्यवस्था करने और आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी- पीएमजेएवाई) स्वास्थ्य योजना के तहत स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने का प्रस्ताव किया है।

इस योजना को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) के माध्यम से लागू करने का प्रस्ताव है, जिसमें प्लेटफॉर्म कामगारों को शामिल करके मौजूदा एबी-पीएमजेएवाई योजना का आधार बढ़ाया जाएगा। मंत्रालय इसके शीघ्र कार्यान्वयन के लिए कार्यरत है।

****